रजिस्टर्ड नं० पी०/एम०एच० 13.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 35] शिमला, शनिवार, 28 नवम्बर, 1987/7 अग्रहायण, 1909 [संख्या 48

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1052—1062
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के प्रधानों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1062
भाग 3	अधिनियम, विधेयकों और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेंशियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	1063—1071
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया तथा पंचायती राज विभाग	—
भाग 5	वैधानिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	1071—1076
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

28 नवम्बर, 1987/7 अग्रहायण, 1909 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हुईं :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या पी०सी०-एच०-एच०ए० (5)-102/86, दिनांक 16 नवम्बर, 1987.	पंचायती राज विभाग	जिला कांगड़ा की विकास खण्ड नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत लूहना के उप-प्रधान श्री चून्नी लाल को ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए आदेश।
संख्या पंच०एच०एम०आर०-ए०(2) 40/87-5974-6018, दिनांक 18 नवम्बर, 1987.	कार्यालय उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर	जिला हमीरपुर की पंचायत समिति (1) हमीरपुर, (2) नादौन, (3) भोरंज, (4) मुजानपुर टीहरा, और (5) बिझड़ी में निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सह-विकल्पित सदस्य के नामों की सूचना।

भाग I वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 2nd November, 1987

No. HHC/Admn.6(23)/74-II-13637.—Consequent upon the grant of 47 days earned leave w.e.f. 1.12-1987 to 16.1-1988, in favour of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class, Kandaghat, the Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of the H. P. Financial Rules, 1971, Vol. I, is pleased to declare the Senior Sub Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Solan as Drawing and Disbursing Officer of the Court of Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class, Kandaghat, and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of Class III and IV establishment of the aforesaid Court under Head "2014 Administration of Justice" during the leave period of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class, Kandaghat or until Shri Gupta returns from leave.

Shimla-1, the 6th November, 1987

No. HHC/GAZ/14-157/83-13781.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to grant 11 days earned leave with effect from 3-11-1987 to 13-11-1987 with permission to avail 14th and 15th Second Saturday and Sunday in favour of Shri A. C. Thalwal, Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate, Amb, District Una.

Certified that Shri A. C. Thalwal would have continued to officiate as Sub-Judge-*cum*-Judicial Magistrate 1st Class but for his proceeding on leave for the above period.

Also certified that Shri A. C. Thalwal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeded to avail leave for the above period.

Shimla-1, the 6th November, 1987

No. HHC/GAZ/14-19/75-II-13817.—The Hon'ble the Chief Justice and Judges are pleased to grant 11 days commuted leave with effect from 7-9-1987 to 17-9-1987 in favour of Shri M. R. Verma, Registrar, High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Shri M. R. Verma would have continued to hold the post of Registrar but for his proceeding on leave for the above period.

Also Certified that Shri M. R. Verma has joined the same post and at the same station from where he proceeded to avail leave for the above period after the expiry of his leave.

By order
B. K. SHARMA,
Deputy Registrar (Admn.).

हिमाचल प्रदेश सरकार

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 8 मई, 1987

संख्या पशुपालन-च (6)-7/82.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पशुपालन-च (6)-7/82, दिनांक 17 जुलाई, 1986 द्वारा गठित मूल्यांकन समिति के परामर्श पर राज्यपाल हिमाचल प्रदेश वर्ष 1986-87 परिशिष्ट "क" में वर्णित पशु पशुपालन विभाग के विभिन्न पशु एवं कृषकों समुदाय तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं और चारा बीज आदि के वर्ष 1986-87 के लिए विक्रय दरों के निर्धारण को सहर्ष कार्य-स्वरूप स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह विक्रय दर वर्ष 1986-87 में लागू रहेंगी तथा यदि नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय-समय पर बाजार भाव को देखते हुए इन विक्रय मूल्यों में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कोई कमी या बढ़ोतरी करें तो वह इसकी सूचना तुरन्त सरकार एवं निदेशक पशुपालन को पूरा सौहार्द्य बनाते हुए भेजें।

परिशिष्ट "क"

मूल्यांकन समिति से परिशिष्ट पशु समुदाय तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं व बीज सम्बन्धी आदि की विक्रय दरों की अधिसूचना, वर्ष 1986-87 बुलन्द अपने आदेशों तक, पशु पालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

भेड़ व बकरियां

(1) देशी भेड़ (रामपुर बुशहरी, सद्दौ) (मूल्य रुपयों में)

मास 1	विक्रय दर नर 2	मादा 3
एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	30	20
1 मास से 2 मास से कम	60	40
2 मास से 3 मास से कम	80	60
3 मास से 4 मास से कम	100	80
4 मास से 5 मास से कम	120	95
5 मास से 6 मास से कम	140	120
6 मास से 9 मास से कम	160	140
9 मास से 1 वर्ष से कम	180	160
1 वर्ष से डेढ़ वर्ष से कम	200	180
डेढ़ वर्ष से 5 वर्ष से कम	225	200

(2) रैम्बुलेट (जर्मन नैस्ल मरीनो/गोलवर्थ) तथा उनके अलावा जातीय काम (यदि कोई हो) (फार्म सन्तति)।

एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	55	45
1 मास से 2 मास से कम	135	95
2 मास से 3 मास से कम	165	130
3 मास से 4 मास से कम	195	160
4 मास से 5 मास से कम	230	190
5 मास से 6 मास से कम	260	225
6 मास से 9 मास से कम	290	255
9 मास से 1 वर्ष से कम	325	295
1 वर्ष से डेढ़ वर्ष से कम	355	315
डेढ़ वर्ष से 5 वर्ष से कम	385	350

(3) गोलवर्थ (ऊसी मरीनो) जर्मन नैस्ल मरीनो (रैम्बुलेट) देशी भेड़ (फार्म सन्तति)।

एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	35	30
1 मास से 2 मास से कम	85	65
2 मास से 3 मास से कम	120	95
3 मास से 4 मास से कम	150	130
4 मास से 5 मास से कम	180	160
5 मास से 6 मास से कम	210	190
6 मास से 9 मास से कम	245	225
9 मास से 1 वर्ष से कम	275	255
1 वर्ष से डेढ़ वर्ष से कम	305	285
डेढ़ वर्ष से 5 वर्ष से कम	340	315

1	2	3

(4) ऊनी मरीनो (रैम्बूलेट आदि एफ 1, एफ 2 आदि)

	मूल्य रुपयों में	
एक मास से कम (बिकाऊ नहीं)	40	40
1 मास से 2 मास से कम	95	75
2 मास से 3 मास से कम	130	105
3 मास से 4 मास से कम	160	140
4 मास से 6 मास से कम	190	170
5 मास से 6 मास से कम	225	200
6 मास से 9 मास से कम	255	235
9 मास से 1 वर्ष से कम	285	265
1 वर्ष से 2 वर्ष से कम	325	295
दो वर्ष से 5 वर्ष से कम	350	330

(5) रैम्बूलेट भेड़ नर (आयात की गई बीज स्टाक)

	मूल्य रुपयों में
(1) मेढ़ा	2300.00
(2) भेड़ मादा	1400.00
बच्चा	1300.00

ऊनी मरीनो भेड़ नर (आयात की गई बीज स्टाक)

	मूल्य रुपयों में
मेढ़ा	1790.00
भेड़ मादा	1662.00

(6) अंगोरा बकरी (मिश्रित)

	बच्चे नर	बच्चे मादा
4 मास से कम	(बिकाऊ नहीं)	(बिकाऊ नहीं)
4 मास से 6 मास से कम	100	90
6 मास से 9 मास से कम	130	120
9 मास से 12 मास से कम	170	150
12 मास से 2 वर्ष से कम	210	180
2 वर्ष से 5 वर्ष से कम	250	200

बकरियों के चार मास तक के बच्चों का मूल्य बुक वैल्यू के लिए निम्न लिखित है :—

	मूल्य रुपयों में मादा	
	नर	मादा
एक मास से कम	25	20
1 मास से 2 मास से कम	35	30
2 मास से 3 मास से कम	45	40
3 मास से 4 मास से कम	55	50

टिप्पणी :—

पांच वर्ष व इससे ऊपर की आयु वाली भेड़ों तथा बकरियों की दरों में निम्न प्रकार से कमी की जाएगी :—

5 वर्ष से 6 वर्ष से कम	10 प्रतिशत
6 वर्ष से 7 वर्ष से कम	20 प्रतिशत
7 वर्ष से 8 वर्ष से कम	25 प्रतिशत
8 वर्ष से 9 वर्ष से कम	30 प्रतिशत
9 वर्ष से 10 वर्ष से कम	35 प्रतिशत

नोट :—कल्लिंग समिति की सिफारिशों तथा निदेशक, पशुपालन विभाग के अनुमोदन पर कल्लिंग करके नीलाम कर दिया जाये।

2. मूल्य घटाये का आधारी आयु दूध की सबसे अधिक निर्धारित मूल्य से गिना जाये।
3. नर-मादा भेड़ों आदि का मूल्य दूसरे प्रदेशों के लिए तीन गुना होगा।
4. पुरानी आयात की गई रैम्बूलेट तथा ऊनी मरीनो भेड़ों का भारत में पहुंचने का मूल्य ही उनका बुक वैल्यू निर्धारित किया गया।

गोजातीय पशु :—

आयु होल्स्टेन फ्रीसियन/जर्सी संमिश्रित नर पशु सबसे अधिक दूध देने वाली माता किलोग्राम (रुपयों में)

	1501 से 2000	2001 से 2500	2501 से 3000	3001 से अधिक
	1	2	3	4
6 मास से कम	250	500	600	700
6 मास से 12 मास से कम	500	800	800	900
12 मास से 18 मास से कम	900	1000	1200	1300
18 मास से ऊपर	1500	1600	1400	2000

टिप्पणी :—

(1) नर पशुओं के उपरोक्त मूल्य आठ वर्ष से कम तक के लिए उपरान्त इनका मूल्य 9 वर्ष से 100 रुपया कम कर दिया जाये और 10 वर्ष से उपरान्त 200 रुपया हर वर्ष कम कर दिया जाये।

(2) हर नर पशु का मूल्य दूसरे प्रदेशों के लिए दुगना होगा।

(3) जहां पर तीन किलोमीटर की परिधि में विभाग द्वारा स्थाई तौर पर प्रजनन का कोई प्रावधान न हो वहां कोई प्रजनीय पंचायत या अन्य अधिकृत प्रजननशील किसान सार्वजनिक हित के लिए नर पशु प्रजनन हेतु रखता तो विभाग उनको बिना मूल्य के नर पशु प्रजनन हेतु देगा, यदि विभागीय कार्यों पर ऐसे पशु उपलब्ध होंगे। यह नियम गुद्दे तथा डोगरे नस्ल पर लागू होगा।

(4) पंचायत व किसान गाय का गर्भवती करने का शुल्क ले सकेंगे जो भी विभाग ने निर्धारित किया हो।

मादा संमिश्रित (सबसे अधिक दूध देने वाला ब्यान पहले ब्यान तक किलोग्राम)

आयु	1501 से 2000	2001 से 2500	2501 से 3000
1	2	3	4
			(रुपये)
6 मास से कम	1400	1500	1600
6 मास से 12 मास से कम	2000	2100	2200
12 मास से 18 मास से कम	2500	2600	2700
18 मास से ब्यान तक	2900	3000	3100

	3001 से 3500	3501 से 4000	4001 से अधिक
	5	6	7
6 मास से कम	1700	1900	2100
6 मास से 12 मास से कम	2300	2500	2700
12 मास से 18 मास से कम	2800	3000	3200
18 मास से ब्यान तक	3200	2400	3600

दुधारू गाय सबसे अधिक दूध का अभिलेख (रुपयों में)

(क) 1500 किलोग्राम तक	3400
(ख) 1501 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम तक	3500
(ग) 2001 किलोग्राम से 2400 किलोग्राम तक	3600
(घ) 2401 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक	3800
(ङ) 3001 किलोग्राम से 3500 किलोग्राम तक	4100
(च) 3501 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम तक	4500
(छ) 4001 किलोग्राम से अधिक	4700

विदेशी पशु —

(1) 1970-71 तथा 1971-72 में आस्ट्रेलिया से आयात किये गये जर्सी पशु।

नस्ल	मूल्य पहुंच (रुपये)
अमिश्रित जर्सी बछड़ियां/गाय	4000 प्रति पशु

(2) भारतीय डेरी निगम द्वारा 1972-73 में आयात किए गये जर्सी/होलस्टेन फीजियन पशु।

अमिश्रित जर्सी होलस्टेन फीजियन गाय बछड़िया	7790 प्रति पशु

(3) 1976-77 में आस्ट्रेलिया से आयात किये जर्सी/होलस्टेन फीजियन पशु

रुपये प्रति पशु

(1) जर्सी बछड़िया	7188.00
(2) होलस्टेन फीजियन बछड़िया	9023.00
(3) जर्सी गाय	9134.00
(4) होलस्टेन फीजियन गाय	12789.00

आयु	आधा जर्सी/होलस्टेन फार्म (रुपये)		आधे से अधिक जर्सी/होलस्टेन फार्म (रुपये)	
	नर	मादा	नर	मादा
6 मास से कम	50	850	60	950
6 मास से 1 वर्ष से कम	60	1300	70	1400
1 वर्ष से 2 वर्ष से कम	110	1800	140	1900
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम	140	2350	160	2450
3 वर्ष से 4 वर्ष से कम	180	2750	220	2850

गाय के बारे —

गायों का कुल मूल्य निकालने के लिए प्राथमिक मूल्यों के साथ निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखें,—

1. गर्भावती होने पर इस आयु समूह की कुल मूल्य पर 10 से 15 प्रतिशत पहले 5 मास व उसके बाद क्रमशः अधिक मूल्य लिया जायेगा।

2. प्रतिदिन हर एक लिटर दूध उत्पादन पर 25 रुपये अधिक लिया जायेगा।

3. यदि गाय 5वी या 6वी बार ब्याही गई हो तो वास्तविक बक वैल्यू जो उस गाय के सामने लिखी गई हो से 10 प्रतिशत मूल्य कम लिया जायेगा यदि गाय 7वी या इससे अधिक बार ब्याही गई हो तो वास्तविक बक वैल्यू जो सामने लिखी गई हो से 20 प्रतिशत कम मूल्य लिया जायेगा परन्तु किसी भी दशा में अमिश्रित गाय का मूल्य 700 रुपये से कम न हो तथा दोगली नस्ल की गाय का 50 रुपये से कम नहीं होगा।

4. नर तथा मादा पशु का मूल्य दूसरे प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत अधिक होगा।

5. नये आयात किये गये जर्सी होलस्टेन फीजियन गाय/बछड़ियां/बछड़ा का मूल्य भारत में पहुंचने का मूल्य ही उनकी बक वैल्यू निर्धारित किया गया है।

चार वर्ष से अधिक आयु-ट्रेड बैल साड

4—5 वर्ष की आयु के लिए 5 प्रतिशत का बढ़ाना।
5—6 वर्ष की आयु के लिए 10 प्रतिशत का बढ़ाना।
6—7 वर्ष की आयु के लिए 15 प्रतिशत का बढ़ाना।
7—8 वर्ष की आयु के लिए 20 प्रतिशत का बढ़ाना
8—9 वर्ष की आयु के लिए 5 प्रतिशत की कमी।
9—10 वर्ष की तथा उससे अधिक आयु के लिए 10 प्रतिशत की कमी की जाये।

गद्दी कुत्ते तथा सीमा कुली कुत्ते :—

आयु	नर	मादा
1	2	3
3 मास से कम	50	40
3 मास से 6 मास से कम	80	60
6 मास से 9 मास से कम	110	90
9 मास से अधिक	150	130

मास की दरें :—

भेड़ 6 रुपये प्रति किलोग्राम जीवित भार।

बकरी 7 रुपये प्रति किलोग्राम जीवित भार।

कम्पोजिट अथवा दुग्ध परियोजना (सरकारी फार्म)।

निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, विभिन्न दुग्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत दुग्ध के क्रय मूल्य तथा दुग्ध व दुग्ध पदार्थ के विक्रय मूल्य बाजार में समय-समय पर उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगा। सरकारी फार्मों पर उत्पादित दूध व दुग्ध पदार्थों का विक्रय मूल्य भी निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा फार्म तथा उप-निदेशक (दुग्ध) की सिफारिशों पर निर्धारित किया जायेगा तथा इस बारे निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश की सरकार को सूचना भेजनी होगी।

अण्डे

दरें सभी फार्मों के लिए (सीमो तथा टापरी के अतिरिक्त)

सीमा ऋतु (1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक)		शरद ऋतु (1 अक्तूबर से 31 मार्च तक)	
ए ग्रेड	50 पैसे	ए ग्रेड	60 पैसे
बी ग्रेड	45 पैसे	बी ग्रेड	55 पैसे

सीमो तथा टापरी के लिए

ए ग्रेड	60 पैसे	ए ग्रेड	70 पैसे
बी ग्रेड	55 पैसे	बी ग्रेड	65 पैसे

दरें—नये स्टेन वाली 10 सप्ताह से 23 सप्ताह तक की मुर्गी के अण्डों का विक्रय मूल्य

सीमा ऋतु	शरद ऋतु
20 पैसे	30 पैसे

नोट स्टेन के उपरोक्त अण्डों के मूल्य प्रभारी अधिकारी 5 पैसे तक कम व अधिक बाजारी भाव को देख कर कर सकता है।

2. हैचिंग के लिए अण्डे का मूल्य प्रत्येक अण्डा 1.50 रुपये होगा।

कुक्कुट

खाने के लिए प्रति किलोग्राम

सभी फार्मों के लिए (सीमो व टापरी के अतिरिक्त)

	शरद ऋतु	सीमा ऋतु
जीवित भार	16 रुपये	15 रुपये
ड्रेसड खाने के लिए	23 रुपये	22 रुपये

पीथों व टापरी के लिए

	शरद ऋतु	ग्रीष्म ऋतु
जीवित भार	19 रुपये	17 रुपये
दरेसड खाने के लिए	26 रुपये	25 रुपये
सभी फार्मों के लिए (पीथों व टापरी के अतिरिक्त) :		
ब्रायलर 8 सप्ताह से अधिक (किलोग्राम)		
जीवित भार	18 रुपये	16 रुपये
दरेसड खाने के लिए	25 रुपये	23 रुपये
पीथों व टापरी के लिए		
जीवित भार	20 रुपये	19 रुपये
दरेसड खाने के लिए	27 रुपये	26 रुपये
मेने वाले ब्रायलर तथा दूसरी मुर्गियों के अण्डे		
प्रति अण्डा एक रुपया	सारे वर्ष के लिए	

अण्डे देने वाली नस्ल के पालने योग्य पक्षियों (कुक्कुट) की विक्रय दरें (टापरी व पीथों के अतिरिक्त) :

आयु संघ दरें (टापरी व पीथों फार्मों के अतिरिक्त) सारे हिमाचल प्रदेश के लिए :

आयु सप्ताह	नर/मादा (बिना लिंग ज्ञान) (रुपये)	लिंग ज्ञान नर (रुपये)	लिंग ज्ञान मादा (रुपये)
0–1	3.00	0.65	5.80
1–2	3.50	2.00	6.10
2–3	4.00	2.50	6.50
3–4	4.50	3.00	7.20
4–5	5.00	3.50	7.70
5–6	5.75	4.00	8.20
6–7	6.75	5.00	8.70
7–8	7.75	6.00	9.40

आयु संघ	(मूल्य रुपयों में) नर	मादा
8–9	8.00	10.25
9–10	9.00	11.50
10–11	10.00	12.25
11–12	11.25	13.50
12–13	12.50	15.00
13–14	13.75	16.50
14–15	15.00	18.00
15–16	16.50	20.00
16–17	18.00	22.00
17–18	19.50	24.00
18–19	21.00	26.00
19–20	22.50	29.00
20–21	24.00	32.00
21 सप्ताह व अधिक	25.50	34.00

अण्डे देने वाली नस्ल को पालने योग्य कुक्कुट की विक्रय दरें:—(पीथों व टापरी के लिए)

आयु सप्ताह	नर/मादा (बिना लिंग ज्ञान) (रुपये)	लिंग ज्ञान नर	लिंग ज्ञान मादा
0–1	3.25	0.75	6.00
1–2	3.75	2.25	6.40
2–3	4.25	2.75	6.80
3–4	4.75	3.25	7.50
4–5	5.25	3.75	8.00
5–6	6.00	4.50	8.50
6–7	7.00	5.50	9.00
7–8	8.00	6.50	10.00
8–9	8.50		11.00
9–10	9.50		12.00
10–11	10.50		13.00
11–12	11.75		14.00
12–13	13.00		15.50
13–14	14.25		17.00
14–15	15.50		18.50
15–16	17.00		20.50
16–17	18.50		22.50
17–18	20.00		24.50
18–19	21.50		26.50
19–20	23.00		29.50
20–21	24.50		32.50
21 व अधिक	26.00		35.00

ब्रायलर स्टेन की दरें—पीथों व टापरी के लिए :

आयु	रुपये
0–1	4.25
1–2	5.25
2–3	6.25
3–4	7.50
4–5	9.00
5–6	10.50
6–7	12.00
7–8	13.50

8 सप्ताह के बाद दर जीवित भार प्रति किलोग्राम के अनुसार होगा।

नोट—16 सप्ताह के बाद केवल चने मुर्गे फार्म पर प्रजनन के लिए व मुर्गी पालकों के लिए रखे जायें।

2. जिन फार्मों में मैकसिंग आरम्भ हो जायेगा तो एक विक्रेता नर चूजा 50 पैसे में बेचा जायेगा। न बिकने पर प्रभारी को स्वयं नष्ट करना होगा यदि आवश्यकता से अधिक हो।

आयु संघ	ब्रायलर स्टेन के लिए दरें—पीथों व टापरी के अतिरिक्त (रुपयों में)
0–1	4.00
1–2	5.00
2–3	6.00
3–4	7.25
4–5	8.50
5–6	9.75
6–7	11.00
7–8	12.50

8 सप्ताह के बाद दर जीवित भार प्रति किलोग्राम के अनुसार होगा।

टिप्पणी 1.—कुक्कुट पालकों से कस्टम हैचिंग की सुगमता सारे वर्ष के लिए देने हेतु 20 पैसे प्रति अण्डा हैचिंग शुल्क लिया जायेगा।

2. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न संस्थानों के अधिकारियों को अधिकार दिया जाता है कि प्रति अण्डे की दर में 15 पैसे तक (प्रत्येक ग्रेड) समय-समय पर बाजार की दरों को ध्यान में रखते हुए बढ़ा सकते हैं तथा इसी प्रकार 15 पैसे घटा सकते हैं। परन्तु ब्रायलर दरेसड मुर्गी खाने योग्य दर को 3 रुपये तक घटा तथा 5.50 तक बढ़ा सकते हैं। जीवित भार क्रमशः 2 व 3.50 तक कर सकता है। इस बारे नियन्त्रक अधिकारी को निर्देशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं सरकार को आवश्यक भेजनी होगी।

3 टेंडिंग के दो दिन के अन्दर बचे गए बूथों पर 3 प्रतिशत अधिक बूथ दिए जायेंगे। बण्डों के वैडिंग निम्न प्रकार तथा उनकी बाहरी तथा भीतरी दशा का ध्यान में रखते हुए की जाये।

ए ग्रेड 50 ग्राम से अधिक

बी ग्रेड 50 ग्राम तक।

दाना व चारा तथा अन्य पौधों की सामग्री आदि—

क्रमांक	मद	(मूल्य रुपयों में)
1	चारा बीज (क) (खरीफ)	(प्रति किलोग्राम)
1.	मक्की	1.50
2	मकचरी	6.00
3	चरी-एम.एस.पी. स्वीट सूडान	3.50
4	राजका बाजरी	6.00
5	लोबिया	4.00
6.	सोयाबीन	4.00
7	बैल बैट बीन	4.00
	(ख) (रबी)	
1.	जई (कैन्ट. पालमपुर नं0 1)	3.50
2	बरसीम	20.00
3.	रालका (नूमरत)	25.00
4.	जौ	2.00
5	मटरी बांसिया	3.50
6	जापानी सरसा	4.00
7.	चाइना गोभी	4.00
(ग)	घास व क्लावर आदि	
1	श्वेत क्लोवर	50.00
2	रैड क्लोवर	40.00
3.	सर्व क्लोवर	40.00
4.	किमसन क्लोवर	40.00
5	ओर्चर्ड घास, राई घास, कैनरी घास, पैरक्यू घास, लव घास, नन्दी घास, दीना नाथ घास, अनजन घास	40.00
6.	टामाथी	50.00
(घ)	घास क्लावर की बढ़ें पौध इत्यादि	मूल्य प्रति जड़/पौध
1.	नेपियर	5 पैसे
2	नन्दी (सिटारिया) अनजन, गिल्ली घास, ओर्चर्ड घास, क्लोवर, टामाथी, पैरक्यू चारा घास आदि	2 पैसे
3.	कुडज	20 पैसे
4	पौध —ब्यूहल, कचनार, तून, राजिनिया, नुमिनिया	10 पैसे
5.	बीज, लसीनिया (हवाईनजाई)	30 रुपये प्रति किलो
(छ)	चारा	मूल्य रुपयों में (प्रति क्विंटल)
1.	हरा चारा	12.00
2.	सूखा घास (बिना गांठ)	40.00
3.	सूखा घास (गांठ)	50.00
4.	सूखा चारा—मक्की, चरी	15.00
5.	सूखा चारा मकचरी	10.00
6.	भूसी जैई जौ	20.00
7.	भूसा सरसा आदि	10.00
8.	भूसा मटरी आदि	20.00
9	पत्तीदार फसलों का हरा चारा	15.00
10.	ब्यूहल, कचनार, रोबिनिया आदि पत्तियों का चारा, लसनिया का चारा	15.00
(च)	अन्य	मूल्य रुपयों में (प्रति क्विंटल)
1	गोबर	10.00
2	कुक्कुट खाद	25.00
3	चारा पत्ती खाने के बाद बची लकड़ी	15.00

टिप्पणी 1.—पशुपालकों को 20 किलोग्राम घास खोदने के लिए 30 पैसे प्रति गांठ शुल्क लिया जावे।

2 प्रभारियों को अधिकार है कि वह समय-समय पर बाजारी भाव को ध्यान में रखते हुए घास सूखी गांठ वाला या बिना गांठ के दर 3.00 रुपये तक बढ़ा व घटा सकते हैं। विर्तात के अनुसार कुक्कुट खाद की दरें पीओ व टापरी नाहन, कमलाई कुक्कुट फार्मों के प्रभारी अधिकारियों को स्थानीय दरें निश्चित करने का अधिकार दिया जाता है।

ऊन तथा ऊनी सम्बन्धी दरें —

	मद	फुटकर विक्रय प्रति किलोग्राम	थोक विक्रय प्रति क्विंटल (रुपयों में)
1.	ऊन देसी भेड़ (रामपुर बशहरी नहीं)	20.00	1900.00
2.	ऊन देसी मेमना	21.00	2000.00
3.	ऊन पोल वर्थ, जर्मन लेंड, रूसी मरीनो, रैम्बूलैट	26.00	2500.00
4.	1/2 तथा 3/4 रैम्बूलैट, पोलवर्थ रूसी मरीनो, जर्मनलैण्ड मरीनों आदि	24.00	2300.00
5.	ऊन मेमना, रैम्बूलैट, पोलवर्थ, रूसी मरीनो, जर्मन लैण्ड मरीनो आदि	27.00	2600.00
6	ऊन मेमना 1/2 तथा 3/4 रैम्बूलैट, रूसी मरीनो, जर्मन लैण्ड मरीनो आदि	25.00	2400.00
7.	माहर	15.00	1400.00
8	बीच हाउस, डेकसा बैली तथा गद्दी ऊन	13.00	1200.00
9.	मैंगी तथा पुल्ह ऊन	नीलामी द्वारा	

टिप्पणी 1.—थोक विक्रय दर उस समय लगाये जबकि ऊन की मात्रा तथा भार एक क्विंटल से अधिक हो। मैंगी तथा पुल्ह ऊन को निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश से स्वीकृति लेकर काफी विज्ञापन आदि करके नीलाम किया जायेगा।

2 क्योंकि ऊन के दाम बाजार में अधिक बढ़ते घटते रहते हैं, अतः निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, दर मूल्य का 10 प्रतिशत अधिक अथवा कम कर सकेंगे।

3. निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश को अधिकार है कि वह बाजारी भाव को समय पर ध्यान में रखते हुए सभी पशु समुदाय तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं दाना तथा चारा अन्य पौध आदि की दर 5 प्रतिशत तक घटा या बढ़ा सकें। इसी प्रकार कुक्कुट तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं पर यह सीमा 20 प्रतिशत होगी। खरगोश बेचने की दरें (ब्रिटिश तथा रशियन ब्रीड)

0–5 सप्ताह (बिकाऊ नहीं)	15.00 रुपये
5–6 सप्ताह (कम)	25.00 रुपये
6–12 सप्ताह (कम)	45.00 रुपये
12–24 सप्ताह (कम)	68.00 रुपये
24 सप्ताह से ऊपर	92.00 रुपये

(जर्मन ग्रोरा)

0–5 सप्ताह (बिकाऊ नहीं)	30.00 रुपये
5–6 सप्ताह (कम)	50.00 रुपये
6–12 सप्ताह (कम)	92.00 रुपये
12–24 सप्ताह (कम)	138.00 रुपये
24 से ऊपर	184.00 रुपये

2. ऊन (प्रति किलोग्राम) 550.00 रुपये

3 बाईंडर खालें

(प्रत्येक)	छोटी	दरम्यानी	बड़ी
(क) सर्पद	4.50	6.50	9.00
खालों व अन्य	6.50	9.00	13.73
बगारा खालें प्रत्येक	4.00		

4. मास

(क) जीवित भार प्रति किलोग्राम	7.50
(ख) दरमह (प्रति किलोग्राम)	11.00

याक पूछ तथा खालें आदि

याक की पूछ तथा दूसरे पशुओं की खालें आदि को नीलामी प्रभारी अधिकारी काफी विज्ञापन के उपरान्त करेगा।

टिप्पणी

1. चिकित्सा दर तथा दूसरे कर जैसे लागू होंगे वसूल किए जाएंगे।

2. प्रभारी अधिकारी को अधिकार दिया जाता है कि वह बाजारी भाव को ध्यान में रखते हुए खरगोश की खाल की दर 10 प्रतिशत तक घटा अथवा बढ़ा सकता है।

एस० एम० कंवर,
सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 9 नवम्बर, 1987

संख्या ब-(11)-6/81-शिक्षा-ग.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन तावत राजकीय महाविद्यालय नाहन के कैम्पस के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, (उप-मण्डल अधिकारी, सिविल), नाहन को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, नाहन (उप-मण्डल अधिकारी, सिविल नाहन उप-मण्डल), जिला सिरमौर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला: सिरमौर तहसील: नाहन

ग्राम	खसरा नं०	एरिया वर्ग मीटर में
1	2	3
जिबपुरी	60	3119 95
	61	68 46
	62	27 71
	63	530 30
	64	186 40
	65	2977 60
	66	12 56
	67	150 10
	68	634 18
	69	37 28
	70	1086 66
	71	864 98
	77	706 81
	78	222 40
	79	92 48
	80	277 64
	81	105 68
	82	571 45
	86	1712 11
	72	854 25
	73	93 15
	74	109 38
	75	21 00
कुल	23	14732 53

शिमला-171002, 11 नवम्बर, 1987

संख्या-क(1)-2/85 शिक्षा-ग.—यतः अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या क(1)-2/85-शिक्षा-ग, दिनांक 19-5-87 को जारी की गई जो कि हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 4-7-87 में सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन तावत राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर, तहसील अम्बाला, जिला शिमला के निर्माण हेतु प्रकाशित की गई।

यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश का यह प्रतीत होता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त परियोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा (17) की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश करते हैं कि मामला अत्यावश्यक होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा (5)(ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला शिमला तहसील: कुमारसैन

गांव/कस्बा	खसरा नं०	एरिया बी० बि०
1	2	3
कथाग	400/1	0 3
	3335/416	0 4
	4188/403	1 15
	422	0 12
	424	1 14
	427	0 13
	4187/403	0 4
	425	1 6
	404	1 2
	424	1 3
	427	0 7
	401	1 17
	402	1 14
	421	0 10
	426	6 5
	409	0 12
	410	0 16
	412	1 9
	413	1 2
	420	0 7
	429	0 13

1	2	3	4
	431	1	9
	411	1	8
	414	3	3
	415	0	5
	4393/419	0	7
	4395/423	1	2
	4397/428	0	14
	4399/432	1	8
	4336/426	0	13
	405	2	15
	408	2	19
	4394/419	0	13
	4396/423	0	17
	4400/432	2	6
	418	0	3
	4398/428	1	6
	430	1	12
	4522/4377/384	0	10
किता ..	39	48	0

शिमला-2, 11 नवम्बर, 1987

संख्या शिक्षा-ज(8)-4/86-शिक्षा-ग.—यतः अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा (4) के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या शिक्षा-ज(8) 4/86-शिक्षा-ग. दिनांक 3-8-87 को जारी की गई जो कि हिमाचल प्रदेश राजपत्र दिनांक 19-9-87 में सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः राजकीय माध्यमिक स्कूल नोगली, तहसील रामपुर, जिला शिमला के लिए खेल के मैदान के निर्माण हेतु प्रकाशित की गई।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि उक्त परिशेष में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा (17) की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश करते हैं कि मामला अत्यावश्यक होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा (5)(ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरण

जिला: शिमला तहसील: रामपुर

महाल 1	खसरा नं0 2	3	एकड़ 4	हैक्टेयर 5
महाल: शिमला	1108	0	28	22
उप-महाल: कलना	1108/1	0	01	10
	1112	0	00	90
	1113/1	0	01	20
	1140	0	00	95
	1148/1	0	03	36
	1149	0	01	28
किता ..	7	0	37	01

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त।

FINANCE DEPARTMENT

(Treasuries and Accounts Organisation)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th November, 1987

No. FIN (TR) B(2)-1/75.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote the following Section Officers in the pay scale of Rs. 800—1400+ Rs. 50/- special pay as Accounts Officers in the pay scale of Rs. 825—1580 (Class-II Gazetted) on regular basis in the following order of seniority with immediate effect.

2. They will remain on probation for a period of two years.

(1) Shri Geeta Ram, Section Officer in the office of the Director-Principal, Indira Gandhi Medical College Shimla.

(2) Shri Jaswant Singh, Section Officer in the office of the Director, Food and Supplies, Shimla.

(3) Shri Ajit Singh Bhalaik, Section Officer in the office of the Director, RID Department, Shimla.

As a result of above promotions, the Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order the following postings and transfers in the cadre of Accounts Officers in the public interest with immediate effect.—

Sl. No. 1	Name of Officer 2	From 3	To 4
1.	S/Shri Geeta Ram	Section Officer in the office of Director-Principal, Indira Gandhi Medical College, Shimla.	Accounts Officer in the office of Director Principal, Indira Gandhi Medical College *vice* Shri H. K. Agnihotri, transferred.

1	2	3	4
2.	Jaswant Singh	Section Officer in the office of Director, Food and Supplies, Shimla.	Accounts Officer in the office of the Deputy Commissioner, Solan against a vacant post.
3.	Ajit Singh Bhalaik	Section Officer in the office of the Director, RID Deptt., Shimla.	Accounts Officer in the office of the Chief Engineer, IPH, Shimla against a vacant post.
4.	H. K. Agnihotri	Accounts Officer in the office of the Director Pincipal, Indira Gandhi Medical College, Shimla.	Accounts Officer on deputation on foreign service in the Chief executive Officer, Shimla Development Authority, Shimla.

M. K. KAW,
Commissioner-cum-Secretary.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(SECTION—A)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd November, 1987

No. GAD-A (B) 8-1/87.—It is hereby notified that the holidays specified in the Schedule appended below, shall be observed as Public Holidays in the public offices under the Himachal Pradesh Govt. during the Calendar Year. 1988 :—

SCHEDULE

Sr. No.	*Holidays*	*Date*	*Saka*		*Day of Week*
1.	Statehood Day	January, 25	Magha	5, 1909	Monday
2.	Republic Day	January, 26	Magha	6, 1909	Tuesday
3.	Guru Ravi Das' Birthday	February, 2	Magha	13, 1909	Tuesday
4.	Maha Shivratri	February 16	Magha	27, 1909	Tuesday
5.	Holi	March, 4	Phalguna	14, 1909	Friday
6.	Ramnavami	March, 26	Chaitra	6, 1910	Saturday
7.	Mahavir Jayanti	March, 31	Chaitra	11, 1910	Thursday
8.	Good Friday	April, 1	Chaitra	12, 1910	Friday
9.	Himachal Day	April, 15	Chaitra	26, 1910	Friday
10.	Budh Purnima	May, 1	Vaisakha	11, 1910	Sunday
11.	Idu'l Fitr	May, 18	Vaisakha	28, 1910	Wednesday
12.	Idu'l Zuha (Bakrid)	July, 25	Sravana	3, 1910	Monday
13.	Independence Day	August, 15	Sravana	24, 1910	Monday
14.	Muharram	August, 24	Bhadra	2, 1910	Wednesday
15.	Janmashtami	September, 2	Bhadra	11, 1910	Friday
16.	Mahatma Gandhi's Birthday	October, 2	Asvina	10, 1910	Sunday
17.	Dussehra (Maha Ashtami)	October, 18	Asvina	26, 1910	Tuesday
18.	Dussehra (Vijay Dashmi)	October, 20	Asvina	28, 1910	Thursday
19.	Diwali (Dipawali)	November, 9	Kartika	18, 1910	Wednesday
20.	Guru Nank's Birthday	November, 23	Agrahayana	2, 1910	Wednesday
21.	Christmas Day	December, 25	Pausa	4, 1910	Sunday.

2. Besides the above holidays, each employee of Himachal Pradesh Govt. will also be entitled to avail himself of any two Holidays to be chosen by him out of the list of Restricted Holidays specified below :—

RESTRICTED HOLIDAYS FOR 1988

Sr. No.	*Holidays*	*Date*	*Saka*		*Date of the Week*
1.	New Year's Day	January, 1	Pausa	11, 1909	Friday
2.	Makarsankranti	January, 14	Pausa	24, 1909	Thursday
3.	Vasant Panchami/ Sripanchami	January, 23	Magha	3, 1909	Saturday
4.	Hazrat Ali's Birthday	March, 2	Phalguna	12, 1909	Wednesday
5.	Holi (Holika Dehan)	March, 3	Phalguna	13, 1909	Thursday
6.	Vaisakhi	April, 13	Chaitra	24, 1910	Wednesday
7.	Jamat-ul-Vida	May, 13	Vaisakha	23, 1910	Friday
8.	Raksha Bandhan	August, 27	Bhadra,	5, 1910	Saturday
9.	Dussehra (Maha Navmi)	October, 19	Asvina,	27, 1910	Wednesday

1	2	3	4	5
10.	Milad-un-Nabi or Id-a-Milad	October, 24	Kartika 2, 1910	Monday
11	Maharishi Balmiki's Birthday	October, 25	Kartika 3, 1910	Tuesday
12.	Goverdhan Pooja	November, 10	Kartika 19, 1910	Thursday
13	Bhai Duj	November, 11	Kartika 20, 1910	Friday
14.	Guru Teg Bahadur Martydom Day	December, 13	Agrahayana 22, 1910	

It is further notified that Heads of Departments/Offices shall at their discretion grant two local holidays in the calendar year on the occasions of important fair and festivals peculiar to the places where there are celebrated, provided that where there happen to be more than two important fairs/festivals, two local holidays are to be declared in consultation with the Deputy Commissioner of respective district. But the total number of holidays will not, in any case, be more than two in a year.

By order,
P. S. RANA,
Commissioner-cum-Secretary (GAD).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 सितम्बर, 1987

संख्या लो0नि0(ख)-7(1)65/87.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सरकारी प्रयोजनार्थ नामतः गांव कैम्बली तथा झड़याल, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, (हि0 प्र0) में केन्थलीघाट बाबा मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न विनिर्देशन में अर्जन वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह चर्चा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विस्टर फील्ड, शिमला-3, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश देने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विस्टर फील्ड, शिमला-3, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरण

जिला: सोलन तहसील: कण्डाघाट

गांव 1	खसरा नं0 2	क्षेत्र बी0 3	क्षेत्र बि0 4
कैंबली	295/102/1	6	10
झड़याल	202/5/1	7	15
	175/1	1	9
	जोड़ ..	9	4

शिमला-2, 9 नवम्बर, 1987

संख्या लो0नि0(ख)7(1)28/86.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव चम्बोह टीका मेवा तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में अवाह-देवी-चम्बोह सड़क (किलोमीटर 0/0 से 5/0 तक सड़क) के निर्माण हेतु भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित हो या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकार देते हैं।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर के सम्मुख अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

[*Authoritative English Text of this Government Notification No. P.W.D.* 7 (1) 28/87 *dated* 9-11-87, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

Shimla-2, the 9th November, 1987

No. PBW(B&R)(B)7(1)28/87.—Whereas it appears to the Governor, of Himachal Pradesh that the land is likely to be required to be taken by the Government at public expenses for a public purpose, namely for the construction of Awa Devi Chamboh road Km. 0/0 to 5/0 in Tikka Chamboh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, it is hereby notified that land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality may, within 30 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition H.P. P.W.D., Hamirpur, District Hamirpur (H.P).

विस्तृत विवरण
SPECIFICATION

जिला: हमीरपुर तहसील: भोरंज
District: HAMIRPUR *Tehsil:* BHORANJ

टीका Tikka 1	मौजा Mauza 2	खसरा नं0 Khasra No. 3	रकबा Area कं0 K. 4	रकबा Area मं0 M. 5
मेवा MEWA	चम्बोह CHAMBOH	2508	2	4
		2512/1	0	13
		2513/1	0	6

1	2	3	4	5
		2511/1	0	1
		2509/1	Sarsahi	1
		2510/1	0	3
		2459/1	0	11
		2514/1	0	12
		2515/1	0	10
		2520/1	0	1
		2516	0	5
		2517/1	0	2
		2519/1	0	5
		2518/1	0	2
		2104/1	0	4
		2103/1	0	14
		2094/1	0	2
		2093/1	0	3
		2095	0	6
		2097	0	8
		2096	0	5
		2098/1	0	1
		2099/1	0	2
		2085/1	0	16
		2036/1	0	2
		2035/1	0	2
		2030	0	5
		2027/1	0	9
		2019/1	0	8
		2031/1	0	1
		1951/1	0	1
		2020/1	0	1
		2018/1	0	14
		2017/1	0	9
		2016/1	0	1
		1953/1	0	2
		19 4	0	3
		1956/1	0	6
		1955/1	0	13
		1942/1	0	14
		1948/1	0	4
		1945/1	0	1
		1941/1	0	1
		1937/1	4	Sarsahi.
		1936/1	3	Sarsahi.
		1935/1	0	5
		1934	0	5
		1938/1	0	14
		1943/1	0	2
		1939/1	0	1
		1933/1	0	10
		1929/1	0	9
		1932/1	0	10
		1931/1	0	1
		1930/1	0	12
		1926/1	0	12
		1924/1	0	6
		1923/1	0	6
		1367	2	1
		1366	1	15
		1368/1	2	2
		1271/1	0	2
		1270/1	0	2
		1269/1	0	3
		1268/1	0	4
		1266/1	0	1
		1267/1	1	12
		1264/1	0	3
		15 9/1	0	3
		1873/1	0	17
		1866/1	0	5
		1867/1	2	1
		1865/1	0	1
		1870/1/1	0	3
		1868/1	0	3
		3375/1572/1	2	8
		1571/1	0	2
		1570/1	0	17
		1562/1	0	9
		1566	0	12
		1567/1	0	19
		1240/1	0	12
		1239	0	3
		1238/1	0	3
		1237/1	0	19
		1370/1	0	12
		1369/1	0	11
		1201/1	0	3
		1200	3	10
		3205/1202/1	0	17
		1197/1	0	4
		1197/1	0	4
		1199/1	2	4
		1198	0	19
		1159/1	0	5
		1157/1	1	0
		1153/1	3	Sarsahi
		1154/1	0	14
		1158/1	0	10
		3372/1155/1	0	11
		3371/1121/1	0	3
		1119	1	5
		1120/1	0	7
		3368/1118/1	0	10
		3367/1118/1	0	2
		1096	1	14
		1095/1	1	7
		1092/1	0	11
		1093	0	2
		1094	0	10
		3374/1572/1	1	12
		Kitta .. 111	58 and 2 Sarsahi.	7

शिमला-2, 11 नवम्बर, 1987

संख्या आंक निर्माण (ख) 7 (1) 51/87.—चूंकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः मुहाल कुन तथा मेडोखर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में मण्डी-कोटली कुन-कालर सड़क के निर्माण हेतु भूमि की जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इसमें सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Lok-Nirman Kh-7 (1)51/87-dated* 11-11-87 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 11*th November,* 1987

No. PBW-(B & R) (B)7 (1) 51/87.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely

to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at the public expenses for a public purpose, namely for construction of Mandi-kotli-Kun-Ka-Tar road in Muhal Kun & Mandokhar, Tehsil Sadar, District Mandi H.P., it is hereby notified that land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of the said land in the locality may, within thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition, H.P. P.W.D., Mandi (H.P).

विवरण
SPECIFICATION

जिला: मण्डी
District: MANDI

तहसील: सदर
Tehsil: SADAR

मौजा Muhal/Mauza 1	खसरा नं0 Khasra No. 2	रकबा Area बी0 Big. 3	बि0 Bis. 4	बिस्वां0 Bisw. 5
कुन KUN-4	732/1	0	0	14
	1171	0	2	10
	1172/1	0	0	13
	731/1	0	0	16
	1170/1	0	1	3
	1169/1	0	2	0
	1175	0	1	7
	1174	0	3	8
किला . .	8	0	12	11
मंडोखर MANDHKHAR	992/556/1	0	0	12
	450/1	0	0	15
	912/1	0	1	8
	894	0	1	13
	484	0	2	11
	554/1	0	11	9
	910/1	0	2	1
किला . .	7	1	0	9

शिमला-171002, 13 नवम्बर, 1987

संख्या सी0 नि0 (ब) 7(1) 72/87.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव बड़ोग तहसील व जिला सोलन में कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 के बड़ोग बाई-पास के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके के किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग सोलन, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरण

जिला सोलन — तहसील सोलन

गांव 1	खसरा नं0 2	क्षेत्र बीघा 3	बिस्वा 4
बड़ोग	332/2/1	3	14
	283/1	2	0
किला . .	2	5	14

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-3, the 16th November, 1987

No. SE(I.R. 54. 2/87.—In the Notification under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of village Kolo, Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.) for the construction of Deem Link road issued by the Superintending Engineer, 2nd circle, HPPWD., Shimla-3 *vide* letter No. SE. II. R. 54-2/86-13852-56 dated 5-9-1986, the following amendment/correction is made :—

"The area of khasra No. 255 shown as 2-0 Bighas may be read as 2-4 Bighas".

Sd/-

Superintending Engineer,
2nd Circle, HPPWD, Shimla-3.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 1987

संख्या 1-137/71-एच0एफ0डब्ल्यू-III—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी वर्ग-2 राजपत्रित पद के लिए 800—1400 रुपये के वेतनमान में, इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी वर्ग-दो (राजपत्रित) पद की भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1987 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्ति—इस विभाग की अधिसूचना सं0 1-137/71-एच0 एच0 एफ0 पी0, तारीख 16-4-1974 द्वारा (अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित जन शिक्षा एवं सूचना) अधिकारी वर्ग-दो राजपत्रित पदों के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

परन्तु ऐसे निरसन से उपर्युक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन पर या तद्धीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन नियमों के अधीन विधि मान्यतः की गई समझी जायेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश में जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी
2.	पदों की संख्या	आठ
3.	वर्गीकरण	वर्ग-दो (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	रुपये 800-25-850-30-1000/40-1200/50-1400
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 32 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किये गए पहले से सरकार की सेवा में इन व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी। परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिवर्ष हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है। परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमंत्रण से पूर्व सरकारी कर्मचारी से सीधी भर्ती में आयु की सीमा में उसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो बाद में ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों/निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमंत्रित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पणी-1.—आयु सीमा की गणना यथास्थिति उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए पदविज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं। टिप्पणी 2.—अन्यथा सुविहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।
7.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	1. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक या इसके समतुल्य सरकारी अर्धसरकारी या अच्छे प्रतिष्ठित संगठन में स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार/लोक सम्पर्क कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार/लोक सम्पर्क से सम्बन्धित होना चाहिए। 2. वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की बोलियां, रीतियां और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विभिन्न दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां।

9	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10	भर्ती की पद्धति — भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण को दशा में श्रेणियां, जिनमें प्रोन्नति की जायेगी।	1. सहायक सम्पादक , 2. सहायक प्रचार अधिकारी, 3. चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता । 4. परिवार नियोजन सामाजिक कार्यकर्ता । 5. स्वास्थ्य शिक्षक में से जिनका अपने क्षेत्र में 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा सहित पांच वर्ष का सेवाकाल हो ।

टिप्पणी-1.—प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अधिकारियों को अपने क्षेत्र में उनकी नियमित सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी और पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।

टिप्पणी-2.—सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों का रोस्टर निम्नलिखित रूप में होगा :—

प्रथम पद—प्रोन्नत व्यक्ति के लिए
द्वितीय पद—प्रोन्नत व्यक्ति के लिए
तृतीय पद—प्रोन्नत व्यक्ति के लिए
चतुर्थ पद—सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिए ।

प्रत्येक चतुर्थ रिक्ति के पश्चात् रोस्टर दोहराया जाएगा ।

[इस पोयाइंटस रोस्टर परिशिष्ट-1 पर है] ।

टिप्पणी-1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित से पूर्व सम्प्रेषण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जायेगी :—

(क) उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्प्रेषण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे

परन्तु उन सभी पदाधिकारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम 3 वर्ष के न्यूनतम अहर्ता-सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षताओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी ।

परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को गणना में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी ।

(ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ।

टिप्पणी-2.—जब कभी नियम-2, के अधीन पदों में बढ़ोतरी होती है, तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए :— (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो, एक जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रिका के देश, कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया

(पहले तांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मालवी और रुहोडिया से भारत में स्थायी निवासी के आशय से प्रवास किया है,

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उस नियुक्ति पर प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उस पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिस के लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिस ने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(1) आगामी देय वेतनवृद्धि पार करने के लिए, और

(2) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थायीकरण के लिए,

2. किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पास कर ली है।

3. सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट मंजूर कर सकेगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अभिवर्धता की आयु प्राप्त करने की तारीख से किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य नहीं हो।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

1. सेवा में, प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर तथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में तथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा :

(1) आगामी देय वेतनवृद्धि पार करने के लिए,

(2) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् स्थायीकरण के लिए, और

(3) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए :

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व, किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतः या भागतः विभागीय परीक्षा पास की है, यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी :

18. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट—I

जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु फीडर प्रवर्गों का 18 पोआइन्ट रोस्टर

पहला पद—सहायक सम्पादक (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल),

दूसरा पद—सहायक, प्रचार अधिकारी/चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवा काल)।

तीसरा पद—परिवार नियोजन सामाजिक कार्यकर्ता (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल)।

चौथा पद—सीधी भर्ती के लिए।

पांचवा पद—स्वास्थ्य शिक्षक—(इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल)।

छठा पद—परिवार नियोजन सामाजिक कार्यकर्ता (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल।

सातवा पद—स्वास्थ्य शिक्षक (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल)।

आठवा पद—सीधी भर्ती के लिए।

नवां पद—परिवार नियोजन सामाजिक कार्यकर्ता (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल)।

दसवा पद—सहायक प्रचार अधिकारी/चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल।)

ग्यारहवा पद—स्वास्थ्य शिक्षक (इस पद पर कम से कम 7 वर्ष का सेवाकाल)।

बारहवा पद—सीधी भर्ती के लिए

तेरहवां पद—परिवार नियोजन सामाजिक कार्यकर्ता।

चौदहवा पद—स्वास्थ्य शिक्षक।

पद्रहवा पद—सहायक प्रचार अधिकारी/चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता।

सोलहवा पद—सीधी भर्ती के लिए।

सत्तारहवा पद—स्वास्थ्य शिक्षक।

अठारहवा पद—स्वास्थ्य शिक्षक।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग
एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 20 मई, 1986

संख्या पी0 एल0 बी0 (ए) 3-2/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में संलग्न उपाबन्ध (क) के अनुसार वेतनमान रुपये 825-1580 में परियोजना अधिकारी, वर्ग-2, (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में परियोजना अधिकारी वर्ग-2 (राजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम 1986 है।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(उपाबन्ध—क)

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, हिमाचल प्रदेश में परियोजना अधिकारी (राजपत्रित) वर्ग-2 के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	परियोजना अधिकारी।	
2. पदों की संख्या	दो (2)	
3. वेतनमान	रुपये 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580	
4. वर्गीकरण	राजपत्रित (वर्ग-2)।	
5. चयन पद अथवा अचयन पद	चयन।	
6. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	35 वर्ष या उससे कम : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त सहित पहले ही सरकार की सेवा में अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकतम हो गया है तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगे : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों तथा अन्य वर्गों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट ही दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सम्बन्धी ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तिम रूप से आयोजित किए गए हैं। टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अन्तिम तारीख से की जायेगी। टिप्पणी-2.—अन्यथा सुविहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित अर्हता आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।	
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक	अनिवार्य	

और अन्य अर्हताएं ।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक या इसके समकक्ष ।	की जिन पर प्रोन्नति या स्थायीकरण के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा या ऐसी सेवा जो पद के भर्ती व प्रोन्नति नियमों में विहित की गई हो, उनमें जो भी कम हो होनी चाहिए :
	वांछनीय :	परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में विहित अपेक्षा के कारण प्रोन्नति या स्थायीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए अपात्र हो जाता है वहां ऐसी प्रोन्नति या स्थायीकरण के विचार के लिए उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को भी अपात्र समझा जाएगा ।
	(1) विज्ञान विद्या शाखा में एम0एस0सी0 या ग्रामीण इन्जीनियरिंग या ग्रामीण टैक्नोलोजी में डिप्लोमा ।	
	(2) हिमाचल प्रदेश की जनियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।	
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं है।	(ख) इसी प्रकार से स्थायीकरण के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा की गणना को भी यदि कोई हो तो सेवा के लिए गणना में लिया जाएगा।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।	परन्तु स्थायीकरण होने पर तदर्थ सेवा की हिसाब में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता नहीं बदलेगी।
10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या पोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	(ग) स्थायीकरण और प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए 31-12-1983 के बाद की गई तदर्थ सेवा गणना में नहीं ली जायेगी।
11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा	ग्रामीण एवं एकीकरण विभाग, हिमाचल प्रदेश के खण्ड विकास अधिकारियों या हिमाचल प्रदेश के दूसरे विभाग के समतुल्य पदों पर अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :	टिप्पणी 2.—जब कभी नियम दो के अधीन पदों की संख्या में बदोतरी करनी हो तब नियम 10 और 11 के उपबन्धों का सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षण किया जायेगा ।
	परन्तु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाला अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक या समतुल्य होगा।	
	टिप्पणी-1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समरण पद में 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा की गणना को भी, यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवा के लिए हिसाब में लिया जायेगा :—	
	(क) उन सभी मामलों में जहां कि कोई कनिष्ठ व्यक्ति समरण पद में अपने कुल सेवाकाल के आधार पर (जिनके अन्तर्गत 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा की है) विचार के लिए पात्र हो जाता है वहां सम्बन्धित प्रवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जाएंगे और उन्हें विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों के ऊपर रखा जाएगा :	
	परन्तु उन सभी पदधारियों	
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।	
13. भर्ती करने में, किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।	
14. सीधे भर्ती किये जानेवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्यक होना चाहिए :—	
	(क) भारतीय नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रिका के देश कीनिया, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जान्जीबार) जांबिया, मालवी जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है	
	परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ),	

(ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सके किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब उसे भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

15 सीधी भर्ती द्वारा पद की नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग उचित या समीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। स्तर/पाठ्यक्रम आदि आयोग द्वारा विवेकानुसार अवधारित किया जाएगा।

16 आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

(i) सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1976 तथा उसमें समय समय पर होने वाले संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी अन्यथा उक्त सदस्य निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा :—

(क) आगामी उच्च दक्षतारोधक पार करने के लिए ;

(ख) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी सेवा में स्थायी किए जाने के लिए।

(ग) अगली उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए :

परन्तु यदि कोई सदस्य उक्त अवधि के भीतर, पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है तो पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यदि वह अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति उस द्वारा विभागीय परीक्षा पास किए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से की जायेगी। यदि वह विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है, तो उसे प्रतिवर्तित किया जा सकेगा ;

परन्तु यह और की ऐसे अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिमूचित किए जाने से पूर्व, अन्य नियमों में विहित कोई विभागीय परीक्षा पूर्णतः या भागतः उत्तीर्ण कर ली है, उसने यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे किसी अधिकारी से जिसके लिए, इन नियमों के अधिमूचित किए जाने से पूर्व, कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और उसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसने इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी

परन्तु यह और कि यदि किसी अधिकारी की आयु 50 वर्ष की हो चुकी हो, तो उस से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी —

(1) अगली देय दक्षतारोध पास करने के लिए, और

(2) परिवीक्षावधि पूर्ण होने के पश्चात् सेवा में स्थाई किए जाने के लिए।

(ii) किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली हो।

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करके असाधारण परिस्थितियों में कारणों को लिपिबद्ध करके विभागीय परीक्षा नियम के अनुसार किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।

18. शिथिल करने की शक्ति।

जहां सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह उसके कारणों को अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,
एम० के० काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव,

[*Authorised English text of this Deptt. notification No. PLG(A)3-2/85, dated 20-5-86 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT
(Integrated Rural Energy Planning)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th May, 1986

No. PLG (A) 3-2/85.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution

of India and in consultation with the H. P. Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Project Officer (IREP)-Class-II (Gazetted), in the pay scale of Rs. 825--1580 in the Department of Science and Technology, Himachal Pradesh as per Annexure-A namely:

Short title and commencement. (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Science and Technology Department Class-II (Gazetted) I.R.E.P. Project Officer Recruitment and Promotion Rules, 1986.

(2) These Rules shall come into force from the date of issue of this notification.

ANNEXURE-I

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROJECT OFFICER (IREP) IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the Post	Project Officer
2.	Number of Posts	Two
3.	Classification.	Gazetted (Class II)
4.	Scale of Pay:	Rs. 825-25-850-30-1000-40-1200/50-1400-60-1580.
5.	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
6.	Age for direct recruitment.	35 years and below: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or contract basis: Provided further that if a candidate *appointed on ad hoc* basis had become overage on the date he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment: Provided further that upper age limit will be relaxable for the Scheduled castesd/ Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the public sector corporation and autonomous bodies, who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such Corporation/ autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporation/ autonomous bodies who were /are subsequently appointed by such corporation/ autonomous bodies and are/ were finally absorbed in the service of such Corporation/ autonomous bodies after initial constitution of the public sector Corporation/ autonomous bodies. *Note*-1. Age limit for direct recruitment will be reckoned from the last date fixed for receipt of application by the Commission. *Note*-2. Age and qualification in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission, in case the candidate is otherwise well qualified.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential*: Graduate in Science from a recognised University or equivalent. *Desirable*: (*i*) M. Sc. in any discipline of Science or Diploma in Rural Engineering or Rural Technology. (*ii*) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year, as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	By deputation, failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer is to be made.	By deputation from amongst the Block Development Officers of Rural Development Deptt. Himachal Pradesh Government or officers of equivalent rank in other Departments of Himachal Pradesh Government:

Provided that the officer to be appointed on deputation shall be a graduate in Science from any recognised University or equivalent.

Note-1. In all cases of promotion *ad hoc* service rendered int he feeder post upto 31-12-1983 if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken which account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:

(*a*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

(*b*) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment against such post, shall be taken into acount to wards the length of service:

Provided that the *interseniority* as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged.

(*c*) *ad hoc* service rendered after 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note-2.—Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission as and when the number of posts under Rule 2 is increased or decreased.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14. Essential requirement for direct recruits.	A candidate for appointment to the service or post must be:- (*a*) a Citizen of India; or (*b*) a subject of Nepal ;or (*c*) a subject of Bhutan; or (*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri-Lanka, East African Countaries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania formerly Tanganyika and Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India or Himachal Pradesh.
15. Selection for appointment to postby direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considers necessary or expedient by a written test or a practical test, the standard/syllabi etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.
16. Reservation.	The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/

Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.

(1) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules within the probation period or within two years from the notification of these rules, whichever is later, failing which, he shall not be eligible to:-

(a) Cross the efficiency bar next due;
(b) confirmation in the service :
(c) Promotion to the next higher post.

Provided that if a member becomes otherwise eligible for promotion, within the period mentioned above, he shall be considered for promotion, and if otherwise found fit shall be promoted provisionally subject to his passing the departmental examination. He may be reverted if he fails to pass the same :

Provided further that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part, prescribed under any other before the notification of these rules, he shall not be required to qualify in whole or in part of the examination as the case may be :

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under the rules :

Provided further that an officer who attains the age of 50 years shall not be required to pass the Departmental Examination for the purposes of :

(a) crossing the efficiency bar next ; and

(b) confirmation in the service after completion of the probationery period.

(2) An officer on promotion to a higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, exemption in accordance with the epartmental examination Rules, to any class or category or persons from the departmental examination in whole or in part.

18. Power to relax.

Where the Government id of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

By order,
M. K. KAW,
Commissioner-cum-Secretary (S. & T. E.).

भाग 4—स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड ऐरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Application No. 28 of 1987

Date of Hearing 8-12-1987

1. Smt. Keshwati, widow, 2. Sarup Singh, son, 3. Asha Devi, daughter, 4. Radha Devi, daughter, 5. Aruna Devi, minor daughter, 6. Ranjana Devi, minor daughter, 7. Sanjana Devi, minor daughter of Late Shri Karam Chand s/o Jamita, r/o Village and Post Office Khatiar, Tehsil Nurpur, District Kangra (Petitioner Nos. 4 to 7 through their mother Smt. Keshwati Devi petition No. 1) ..Petitioners.

Versus

The general public ..Respondent.

To

The general public.

Whereas in the above noted case the above named applicants have filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act in respect of the assets of Late Shri Karam Chand s/o Shri Jamita, r/o Village and P. O. Khatiar, Tehsil Nurpur, District Kangra who died on 30-6-87 at Khatiar.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondant of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any, to the grant of such Succession Certificate in this court on 8-12-1987 at 10 A.M. personally or through an authorised agent/pleader failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court on this 10th day of November, 1987.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub-Judge,
Kangra at Dharamshala.

Seal.

In the Court of Shri R. L. Azad, Sub-Judge 1st Class, Arki, District Solan, Himachal Pradesh

In relation to :—

Shri Dila Ram s/o Shri Kiloo, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District, Solan, Himachal Pradesh ..Plaintiff.

Versus

Shri Balia s/o Shiboo, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh and others ..Defendants.

SUIT FOR DECLARATION

To

1. Shri Sadh s/o Shri Shibu, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
2. Shri Bihari s/o Shri Dhani Ram, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
3. Shri Dhanpat s/o Shri Khialoo, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
4. Shri Dhana Lal s/o Shri Swanu, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
5. Shri Lekh Ram s/o Shri Sawanu, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
6. Shri Chet Ram s/o Smt. Mathru, d/o Shri Sawanoo r/o village Ladog, Pargana Sandhurat, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
7. Smt. Batu d/o Shri Sawanu, r/o village Behal, Diaroo, Pargana Saryanj, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
8. Shri Durga s/o Shri Laturia, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
9. Shri Bali Ram s/o Shri Kiloo, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
10. Shri Sant Ram s/o Smt. Khindoo d/o Kiloo, r/o village Manol, Pargana Saryanj, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
11. Shri Bishan Dutt s/o Shri Labh Chand, r/o village Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
12. Smt. Ikadashi wd/o Labh Chand, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
13. Shri Dharam Singh s/o Shri Phulmu, r/o village Madet Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan H. P.
14. Smt. Ganpatu d/o Phulmu, r/o village Madet, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
15. Smt. Sheela d/o Phulmu, r/o village Madet, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
16. Smt. Lachhami Devi wd/o Shri Phulmu, r/o village Madet, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
17. Shri Sudama s/o Shri Bardu, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P
18. Shri Basant Ram s/o Shri Bardu, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
19. Narbada d/o Shri Bardu, r/o village Khanlog, Pargana Manju, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
20. Shri Lekh Ram s/o Shri Ganeshu s/o Shri Sudagar, village Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
21. Shri Bali Ram s/o Shri Ganeshu, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
22. Shri Sadh s/o Shri Sudagar, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan H. P
23. Shri Prem Singh s/o Shri Devi Ram, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
24. Shri Narain Singh s/o Shri Devi Ram, r/o village Kolka Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
25. Shri Kansu s/o Shri Nagina, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan H. P.
26. Shri Kanshi Ram s/o Shri Bhagtia, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H.P.
27. Shri Kalia s/o Shri Navi, r/o village Kolka Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H.P.
28. Shri Balia s/o Shri Banpatu, r/o village Bambira, Pargana Matiyanj, Tehsil Arki, District Solan, H.P.
29. Shri Gopal s/o Shri Ganpatu, r/o village Bambira, Pargana Matiyanj, Tehsil Arki, District Solan, H.P.
30. Shri Mathura s/o Shri Surju, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H.P.
31. Sarswati d/o Shri Surju, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
32. Shri Dalaru wd/o Shri Surju, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
33. Shri Dhani Ram s/o Shri Bardo, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.
34. Shri Khem Chand s/o Shri Nikdo, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H.P.
35. Shri Chet Ram s/o Shri Nikoo, r/o village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H. P.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that the above noted defendents etc. can not be served in the normal course of service hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is issued against the above noted defendents to appear before this court on 10-12-87 at 10 A.M. through a pleader or an authorised agents failing which the *ex-parte* proceeding will be taken against them.

Given under my hand and seal of the Court this 22nd day of September, 1987.

R. L. AZAD,
Sub-Judge 1st Class, Arki,
District Solan (H. P.).

Seal.

In the Court of Shri M. K. Bansal, Sub-Judge 3rd Class (I), Dharamshala, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 157/1987

Deity Mandir Virbhadra Kangra City, Himachal Pradesh through his Mohtmim Shri Ravidatt Gir Chela Shri Tulsi *alias* Swaru Gir, r/o Kangra, Tehsil and

District Kangra, Himachal Pradesh ..Plaintiff.

Versus

Masantu etc. ..Defendants.

To

2. Shri Ramesh Kumar Visht s/o Shamsher Singh, 3. Deepak Thakur s/o Ram Singh Thakur s/o Ballu Shah, 4. Sudhir Kumar Visht s/o Ram Gopal Visht s/o Amar Singh all residents of Mant Khas, Tehsil and District Kangra Himachal Pradesh ..Defendants.

Whereas in the above noted Civil Suit it has been proved to the satisfaction to this Court that the above named defendants are evading the service of the summons and cannot be served in the normal course of the service. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. are hereby issued against them to appear in this Court on 3-12-1987 at 10.00 A.M. personally or through an authorised Agent or Pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings will be taken against them.

Given under my hand and seal of the Court on this 6th day of November, 1987.

M. K. BANSAL,
Seal. *Sub-Judge 3rd Class (I), Dharamshala.*

In the Court of Shri Ravinder Parkash, Sub-Judge 1st Class-I, Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh

Succession Act 12/1987

Chander Kumari w/o Shri Durga Dass s/o Sesh Ram, r/o Ward No. 3, Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh ..Applicant.

Versus

General public.

Petition under section 372 of the Indian Succession Act 1925 in the matter of succession and goods of late Shri Durga Dass Sood s/o Sesh Ram, r/o Ward No. 3, Palampur, Kangra, Himachal Pradesh.

To

The general public.

Whereas in the above noted case the Petitioner(s) Chander Kumari has applied for grant of succession certificate in respect of Rs. 2600/- along with interest deposited in the name of Shri Durga Dass Sood in the State Bank of India under compulsory deposit Scheme 1974 (Income Tax Payers) in account of No. I.T.P. 4 and 2. The deceased has executed a Will in favour of the applicant and as on the basis on the Will the applicant is claiming.

Notice is hereby given to the General Public, relations and kinsmen of the deceased Shri Durga Dass Sood that if any body has got objections, the same be filed in this court on or before 8-12-1987 at 10 A.M. personally or through pleader or through an authorised agent failing which the petition will be heard and decided *ex parte*.

Given under my hand and seal of the Court this 30th day of October, 1987.

RAVINDER PARKASH,
Seal. *Sub-Judge 1st Class I, Palampur, District Kangra.*

In the Court of Shri K. L. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Una

Civil Suit No. 71/1986

Gulzara *Versus* Sher Singh, etc.

Versus :

1. Uttami Devi widow of Nasib Singh, 2. Bachittar Singh, 3. Jit Singh, 4. Jagdish Singh s/o Nasib Singh, 5. Deso, 6. Kunta, 7. Sheela d/o Nasib Singh, r/o village Kungrat Majra Deetah, Sub-Tehsil Haroli, District Una.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this court that the above named LRs could not served in the ordinary course of service as they are evading the service of summons issued against them.

Hence, this proclamation U/O 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against them to appear in this court on 5-12-87 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which they would be proceeded *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the Court today the 10th November, 1987.

K. L. SHARMA,
Seal. *Sub-Judge 1st Class, Una.*

बदालत श्री श्री राम सब-रजिस्ट्रार, जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा

बनुरहमा :

पृथी चन्द

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त बराये पंजीकृत किए जाने वसीयतनामा मुतबफी श्री खेम चन्द पुत्र बीरबल, निवासी उत्तरापुर, मौजा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जेर धारा 40/41 आई० आर० ए० 1908।

नोटिस उपरोक्त उनवान बाला में श्री पृथी चन्द पुत्र खेम चन्द निवासी उत्तरापुर, मौजा जयसिंहपुर ने एक दरखास्त पेश की है कि उसके पिता मुतबफी ने एक वसीयतनामा दिनांक 25-2-72 को बहक प्रार्थी तहरीर करवाया है। उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिए इस इश्तहार द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस वसीयतनामा के पंजीकृत होने में यदि कोई उज्र या एतराज हो तो वह आईन्दा पेशी दिनांक 8-12-1987 को इस अदालत में असालतन या वकालतन सुबह 10 बजे पेश कर सकता है वसूरत दीगर वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 10-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर।

श्री राम,
सब-रजिस्ट्रार, जयसिंहपुर
जिला कांगड़ा।

बदालत श्री श्री राम, सब-रजिस्ट्रार, जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बमुकद्दमा :

जीवन लाल

बनाम

ग्राम जनता।

दरखास्त बराए पंजीकृत किए जाने वसीयतनामा मुतबफी श्री

[illegible] पुत्र [illegible], निवासी [illegible], [illegible] जोर साहब 100/4 [illegible] 1997।

[illegible] उपरोक्त उपबन्धों से भी [illegible] पुत्र [illegible] निवासी [illegible] जोर साहब [illegible] को यह [illegible] दिनांक [illegible] को यह [illegible] नहीं [illegible] इसे न [illegible] किया जाये। इस लिए इस [illegible] द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस [illegible] के [illegible] होने में कोई [illegible] हो तो वह [illegible] दिनांक 8.12.1997 को [illegible] मुख्य [illegible] में [illegible] किया जायेगा।

आज दिनांक 18.11.97 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

श्री राम,
सब रजिस्ट्रार, [illegible],
जिला [illegible]।

न्यायालय श्री [illegible] राम [illegible], सहायक [illegible]
द्वितीय श्रेणी, [illegible]।

1. श्री [illegible] पुत्र [illegible], निवासी [illegible] [illegible] थाना [illegible] जिला [illegible]।

शंकरी देवी [illegible] निवासी [illegible] जिला [illegible]।

लोक [illegible]

फौज [illegible]

[illegible] 16.10.97 [illegible]
[illegible]

[illegible] उपरोक्त से श्री [illegible] सिंह ने [illegible] है कि [illegible] 1008/1981, 1008/1981 किस्त 2 [illegible] 72 [illegible] है। [illegible] है और वे [illegible] है। और यह कि [illegible] देवी ने इस [illegible] का [illegible] 5 साल पहले छोड़ दिया है और उसके पते का कोई भी [illegible] नहीं। [illegible] श्रीमती शंकरी देवी को सूचित किया जाता है कि वह [illegible] दिनांक 3.12.97 [illegible] साक्ष्य अपने [illegible] पेश करें अन्यथा उनका [illegible] पक्ष से [illegible] किया जायेगा।

आज दिनांक 8.11.1997 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

[illegible] राम [illegible],
सहायक [illegible] द्वितीय श्रेणी,
[illegible], जिला [illegible]।

[illegible] जोर साहब 6, [illegible] 20, सी०पी०सी०

[illegible] [illegible] सहायक [illegible]
श्रेणी (भू सुधार अधिकारी), [illegible] [illegible] व जिला
[illegible], [illegible]

[illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, निवासी [illegible], [illegible] व जिला [illegible] [illegible]।

बनाम

[illegible], [illegible], [illegible] पुत्र [illegible] [illegible], निवासी [illegible] [illegible] व जिला [illegible]। फरीकैन [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] 4847, [illegible] [illegible] 4848, [illegible] 2000, किस्त 4, [illegible] 12.8 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] व जिला [illegible]।

[illegible] मुकदमा ([illegible]) में [illegible], [illegible],

[illegible] फरीकैन [illegible] को [illegible] पत्र [illegible] [illegible] [illegible] फरीकैन [illegible] को [illegible] [illegible] जोर साहब 6, [illegible] 20, सी०पी०सी०

[illegible] [illegible] सहायक [illegible]
श्रेणी, [illegible] व जिला [illegible], [illegible]

(1) श्री [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, (2) श्री [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, (3) [illegible] देवी निवासी [illegible] सिंह, (4) [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, (5) [illegible] सिंह, (6) [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, (7) [illegible] निवासी [illegible] सिंह, (8) [illegible] सिंह, (9) [illegible] सिंह पुत्र [illegible] देवी, निवासी [illegible], [illegible] व जिला [illegible]।

बनाम

(1) श्रीमती [illegible] देवी, (2) [illegible] देवी पुत्री [illegible] सिंह, (3) [illegible] सिंह पुत्र व (4) [illegible] देवी, (5) [illegible]

पुत्र श्री सिंह (18) सांसदी, (17) गुप्ती पुत्री गुप्ती (18) गुरबेल सिंह, (19) स्वारी देवी पुत्री श्री [illegible] देवी, (20) [illegible], (21) [illegible] पुत्री [illegible], (22) [illegible] सिंह, (23) [illegible] सिंह पुत्र [illegible], (24) [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, (25) [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह, (26) [illegible] सिंह, (27) [illegible] सिंह, (28) [illegible] देवी पुत्री, (29) [illegible] कौर पुत्री [illegible] देवी, [illegible] सीता [illegible] महसील व जिला [illegible] हिमाचल प्रदेश फरीकैन बंसान।

बाबा [illegible] सरकारी [illegible] 4500, [illegible] सरकार [illegible], जिला [illegible], [illegible] व जिला कांगड़ा।

[illegible] फरीकैन बंसान का कर्ज [illegible] समय [illegible] सरकार रियायी [illegible] सुनिश्चित [illegible] गया है। फरीकैन [illegible] गया [illegible] है।

[illegible] फरीकैन बंसान का [illegible] सुनिश्चित किया जाता है कि यह उक्त [illegible] की [illegible] से [illegible] या [illegible] अदालत [illegible] कोर्ट [illegible] में [illegible] (1) [illegible] 19 [illegible] 1 [illegible] 10 बजे होकर आवें। [illegible] की [illegible] में कार्यवाही [illegible] से [illegible] जायेगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

सीहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक सेशन्स जज,
चम्बा।

हस्तक्षेप याचिका, जेर धारा 6, [illegible] 2[illegible], (सी०सी०सी०)

[illegible] महसीलदार [illegible] पुत्र [illegible] मुख्तार अधिकारी कुल सहायक सेशन्स जज [illegible] महसील व जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

[illegible] सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी [illegible] महसील व जिला कांगड़ा [illegible]।

बनाम

[illegible] पुत्र [illegible] निवासी [illegible], फरीकैन बंसान महसील व जिला कांगड़ा।

[illegible] सरकार इन्द्राज [illegible] सरकार [illegible] 4500 [illegible] सरकार [illegible] 3107 [illegible] 3 [illegible] सीता महसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

[illegible] सरकार इन्द्राज [illegible] में [illegible] [illegible] फरीकैन बंसान [illegible] में [illegible] [illegible] महसील व जिला कांगड़ा [illegible] में [illegible] [illegible] कि फरीकैन बंसान जिला [illegible] रहता है।

[illegible] फरीकैन बंसान पुत्र [illegible] को [illegible] हस्ताक्षर [illegible] उचित किया जाता है कि यह उक्त मुकद्दमा की पैरवी [illegible] कार्यवाही मुकाम [illegible] में [illegible] [illegible] 1[illegible] को [illegible] 10 बजे होकर आवें और हाजरी की सूरत में कार्यवाही [illegible] में [illegible] जायेगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

सीहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक सेशन्स,
[illegible] श्रेणी, कांगड़ा।

[illegible] सहायक [illegible] सेशन्स जज [illegible] महसील [illegible] जिला कांगड़ा।

[illegible] सरकार इन्द्राज [illegible] में [illegible] [illegible] सहायक [illegible] सीता [illegible] महसील व जिला कांगड़ा।

सुभाष चन्द, सुरेश कुमार, [illegible] सिंह (पुत्र) [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

बड़सर जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ..सायल

बनाम

बागोर सिंह, सत्यदेव, कमला देवी, सुन्दर पुत्र गुलाबा, हरीचन्द, अमर चन्द, प्रेम चन्द, ज्ञान चन्द, कर्म चन्द, काशी राम, दलीपू, रोशन, कम्मोरा पुत्र रमल, दया राम, रिखी राम, श्रीमती चानो देवी, शर्ती देवी, कमला देवी पुत्रीयान रमल, डिफो, बिधि चन्द, केवल राम, जुलफी राम, चरणदास, चुन्नू राम, निका राम, रत्न चन्द, बोहरा, काशी राम, निन्नू, निका दुर्गी देवी, मायवी देवी, विजय कुमार, सतोष कुमारी, सुमना देवी, प्रोमीला देवी, गरीबू, अनन्त राम, चन्दू, वासीयान ठमाणी मंझली, तप्पा लोहडर, तहसील बड़सर व सरकार बजरीया कुलैक्टर हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

..फरीकैन दोयम।

दरख्वास्त बामुराद तकसीम बराजी मुन्दर्जा, खाता नम्बर 17 खतौनी नं० 20 ता 47 खसरा नम्बरान किता 66, रकबा नादादी 114 कनाल 13 मरले, रकबा मजरूआ दाखल बाच्छ, गैर मजरूआ, रक्बरब बाच्छ मुन्दरजा जमाबन्दी 1981-82, वाक्य। टीका ठमाणी, मझली, तप्पा लोहडर, तहसील बड़सर।

उपरोक्त मुकदमा में उपरोक्त फरीकैन दोयम को कई बार समन जारी किए गए व मुन्नी मनादी भी करवाई गई परन्तु वह निश्चित तारीख पेशी पर हाजर अदालत न आ रहे हैं। अतः अब बजरीया राजपत्र इश्तहार समस्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 7-12-87 प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अमालतन या वकालतन हाजर होकर मुकदमा की पैरवी करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-10-87 को जारी हुआ।

राजू राम धीमान,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बड़सर।

न्यायालय श्रीमती उपमा चौधरी एथोरिटी अन्डर पेमैन्ट आफ वेजिज एक्ट, 1936 चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

1. श्री नैन सिंह पुत्र श्री गबू, ग्राम शरावण, परगना बनोग, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
2. श्री रती राम पुत्र श्री राम दत्त, ग्राम शरावण, परगना बनोग, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री देई राम पुत्र श्री बुद्धिया, निवासी ग्राम, परगना हासल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ...प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम :

1. श्री टीका राम पुत्र श्री मगनी, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
2. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बनिया, निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
3. श्री मोता राम पुत्र श्री कटिया, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
4. श्री केशू पुत्र नानकू, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
5. श्री नेतू पुत्र श्री जद्दू, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
6. श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री मोता राम, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
7. श्री दीवान राम पुत्र श्री धनु, निवासी पावरी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
8. श्री सही राम पुत्र श्री कटिया, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
9. श्री बनिया पुत्र श्री अना, निवासी भुमारी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
10. श्री दब्बू पुत्र श्री मिन्नू, निवासी बिगरोली, परगना मतोता, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।
11. श्री तेलू पुत्र श्री कनमू, निवासी पडोग, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
12. श्री काशी राम पुत्र श्री सुबिया, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
13. श्री हीरा पुत्र श्री जेठू, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
14. श्री खयाल पुत्र श्री लखरू, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
15. श्री मोहतू पुत्र श्री कालटू, निवासी बदोयार, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
16. श्री कनिया पुत्र श्री मोहतू, निवासी बदोयार, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
17. श्री रतनू पुत्र श्री मोहतू, निवासी बदोयार, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
18. श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री शोभ राम, निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
19. श्री सोनू पुत्र श्री धनु, निवासी पवोरी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
20. श्री गंगा राम पुत्र श्री मीजो राम, निवासी पजोरी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
21. श्री धनु पुत्र श्री मोलू राम, निवासी पवोरी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
22. श्री भोम सिंह पुत्र श्री कालू राम, निवासी शरावण, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
23. श्री बसो राम पुत्र श्री मीना राम, निवासी शरावण, तहसील जिलाई जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
24. श्री मनी राम पुत्र श्री गुपा राम निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
25. श्री बारू राम पुत्र श्री जटू राम, निवासी शरोग, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
26. श्री मदन सिंह पुत्र श्री जोगा राम, निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
27. श्री मन्न राम पुत्र श्री धरम सिंह, निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
28. श्री सूबिया पुत्र श्री साहिबू, निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
29. श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री महोबू, निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
30. श्री गुलाबू पुत्र श्री नन्ता, निवासी डिमठी, तहसील जिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

नैन सिंह व रती राम प्रार्थीगण 1 ता 2 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र जेर आर्डर 1 रूल 8 जाबता दीवानी इस न्यायालय में गुजार रखा है। कि उपरोक्त प्रार्थीगण 1 ता 30 तक जोकि इस न्यायालय की सीमा से बाहर रहते हैं तथा उन की समन से तामील करवाना मुशकिल है उनकी ओर से सर्वश्री नैन सिंह व रती राम ने दई राम फरीकदोयम के खिलाफ जेर धारा 15(2) पेमैन्ट आफ वेजिज ऐक्ट, 1936 पृ० 13, 434 रुपये का दावा कर रखा है।

अतः प्रार्थीगण उपरोक्त 1 ता 30 को इश्तहार हजा से सूचित किया जाता है कि मुकदमा में अगली तारीख पेशी मिति 3-12-87 की निश्चित की गई है। जिस में उनकी ओर से सर्वश्री नैन सिंह व रती राम पैरवी करेंगे तथा अगली तारीख पेशियों में भी उनकी ओर से पैरवी करेंगे।

दिनांक 23-10-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

उपमा,
अथोरिटी,
अन्डर पेमैन्ट आफ वेजिज ऐक्ट,
चौपाल, जिला शिमला।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

नृत्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

नृत्य

अनुपूरक

नृत्य

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।